HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1621/2026

Sarita Dalmiya W/o Shri Shiv Gopal Dalmiya, Aged About 53 Years, R/o Flat No M 2 Smridhi Complex First C Road Sardarpura Police Station Sardarpura Jodhpur Presently Lodged In Central Jail Jodhpur

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mahipal Bhanwal
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना उदयमंदिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **419, 420, 465, 467, 468, 471, 474 एवं 120बी भारतीय दंड संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थिया सरिता डालमिया 53 वर्षीय महिला है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 12.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 474 एवं 120बी भारतीय दंड संहिता अधिनियम के दण्डनीय अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि इस मामले में जो परिवादिया है उसने प्रार्थी के विरुद्ध कुल 18 मुकदमे दर्ज कराए हैं, उन सभी मामलों में परिवादिया

राजकुमारी एकमात्र महिला है जो प्रार्थिया/अभियुक्ता सरिता डालमिया की भाभी है। मामला एक ही खसरा में स्थित भूखंडों से संबंधित है तथा मुलजिमान व परिवादी पक्ष समान है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थिया सरिता डालमिया को अन्य मामलों में जमानत पर छोड़ा जा चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त महिलाएं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त सरिता डालमिया 53 वर्षीय महिला है एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 12.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सरिता डालमिया पत्नी शिव गोपाल डालमिया** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2025, पुलिस थाना उदयमंदिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/—रुपए (अक्षरे रुपये एक लाख मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध—पत्र तथा **50,000—50,000/— (अक्षरे रुपये पचास—पचास हजार मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी

RAJASTHAN HIGH COURT

अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

(ASHUTOSH KUMAR),J

53-Nitin Jagtiani/-